2025:CGHC:22618-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1317/2015

टंगरू पहाड़ी कोरवा पिता इटावा पहाड़ी कोरवा, आयु लगभग 40 वर्ष, व्यवसाय- कृषि, निवासी- ग्राम बड़ी चलगली, थाना राजपुर, जिला. बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.)

... अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य ,द्वाराःथाना शंकरगढ़, जिला- बलरामपुर रामानुजगंज, छत्तीसगढ़

...प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	: श्री ऋषि राहुल सोनी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से	: श्री अफ़रोज़ खान, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

युगलपीठ

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी

बोर्ड पर निर्णय

09/06/2025

न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

1. वर्तमान दाण्डिक अपील अपीलार्थी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'दण्ड प्रक्रिया संहिता') की धारा 374(2) के अधीन इस न्यायालय के दाण्डिक अपीलीय अधिकारिता का आह्वान करते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रामानुजगंज, जिला सरगुजा (अंबिकापुर) छत्तीसगढ़ द्वारा सत्र विचारण क्रमांक-13/2013 में दिनांक 02.09.2015 को पारित निर्णय की वैधता, विधिमान्यता एवं औचित्यता को प्रश्नगत किया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया गया है :-

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन	अजीवन कठोर कारावास एवं 500/- रुपए का अर्थदण्ड , अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के अधीन	3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 100/– रुपए का अर्थदण्ड , अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर 5 दिवस का अतिरिक्त कठोर कारावास दोनो दण्डादेशों को साथ–साथ चलाया जाएगा।

2.अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 21.6.2013 और 23.6.2016 के मध्य, अपीलार्थी ने अपनी पत्नी जलाही बाई पर हमला किया और स्वयं को अपराध से बचाने के लिए, उसके शव को छुपा दिया और इस प्रकार अपराध कारित किया। जलाही बाई के भाई पोको पहाड़ी कोरवा (जिसकी विचारण के दौरान मृत्यु हो गई) ने 23.6.2013 को पुलिस को प्र.पी.–4 के माध्यम से सूचना दी जिसमें बताया गया कि दिनांक 21.6.2013 को, अपीलार्थी अपनी पत्नी (मृतका) के साथ अपने पिता के मृत्यु संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उसे आमंत्रित करने उसके घर आया था। दोपहर लगभग 12:00 बजे, लौटते समय, अपीलार्थी और उसकी पत्नी जलाही बाई के मध्य कुछ झगड़ा हुआ, इस दौरान, उसने उसे टंगिया के हैंडल से दो बार मारा। जब पोलो पहाड़ी कोरवा ने उसे ऐसा करने से मना किया, तो वह अपनी पत्नी के साथ एक बंजर खेत को पार करते हुए घर से निकल गया। इसके बाद, दिनांक 23.6.2013 को, जलाही बाई का शव उक्त क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे पड़ा मिला। तत्पश्चात, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श–पी/6) तैयार की गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श–पी/3) दर्ज की गई। मृतका के शव को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया, जिसका परीक्षण डॉ. शशिकला टोप्पो (अ.सा.–6) ने किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श–पी/7 ए द्वारा दिया, जिसमें अभिमत दिया गया कि मृत्यु का कारण अत्यधिक सबड्यूरल रक्तस्राव और सिर में चोट के कारण सदमा था; और मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथन (प्र.पी./10) के अनुपालन में, प्र.पी./11 के अनुसार एक टंगिया ज़ब्त किया गया। समुचित अन्वेषण के उपरांत, अपीलार्थी के विरुद्ध उपरोक्त अपराधों के लिए अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया और प्रकरण विधि अनुसार विचारण हेतु सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया। अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपने अपराध को अस्वीकार किया और बचाव में प्रवेश किया।

4. आरोपों को साबित करने हेतु, अभियोजन ने 6 साक्षियों का परीक्षण कराया और 16 दस्तावेज़ प्रस्तुत किए।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना करने के उपरांत, अपीलार्थी को उपर्युक्त अनुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया, जिसके विरुद्ध, अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 201 के अधीन दोषसिद्धि पूर्णतः अनुचित है क्योंकि अभियोजन अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी को केवल अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत के आधार पर दोषसिद्ध किया गया है, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी./3) में कहा गया है, यद्यपि, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उनका तर्क है कि **ललिता विरुद्ध विश्वनाथ व अन्य**[1] के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार, किसी अभियुक्त को केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी मृत्यु के कारण उससे परीक्षण नहीं कराया जा सका। इस प्रकार, अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और अपीलार्थी दोषमुक्ति का पात्र है ।

7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया हैं एवं तर्क किया हैं कि अभियोजन आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है और विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उपरोक्त अपराध के लिए उचित रूप से दोषसिद्ध किया है। अपीलार्थी दोषमुक्ति का पात्र नहीं है और अपील खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है, उनके द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

9. प्रथम प्रश्न यह है कि क्या मृतका की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्र.पी./7ए) के आधार पर सकारात्मक अवलंब लिया है, जिसे डॉ. शशिकला टोप्पो (अ.सा.–6) द्वारा साबित किया गया है, जिसमें यह अभिमत दिया गया था कि मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी, और हमें उक्त निष्कर्ष में कोई अवैधता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यह न तो विकृत है और न ही अभिलेख के विपरीत है और उक्त निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है।

10. अब, आगामी प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को प्रश्नगत अपराध का कर्ता मानकर उचित रुप से अभिनिर्धारित किया है?

11. अभियोजन का प्रकरण प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं है; यह मुख्यतः परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, विशेषतः अंतिम बार एक साथ देखे जाने के सिद्धांत पर। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित प्रकरण के प्रमाण के पंचशील का गठन करने वाले पाँच स्वर्णिम सिद्धांत, माननीय उच्चतम

1 2025 SCC OnLine SC 370

न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण द्वारा **शरद बिरदीचंद सारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य** [2] के प्रकरण में पैरा 152 में प्रतिपादित किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:–

> "152. इस निर्णय का गहन विश्लेषण यह दर्शाएगा कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण पूर्णतः स्थापित होने से पूर्व निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूर्ण होनी चाहिए:
>
> (1) जिन परिस्थितियों से दोष का अनुमान लगाया जा रहा है, उन्हें ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए;
>
> यहाँ यह विचार करने योग्य है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ स्थापित 'अवश्य या होनी चाहिए' थीं, न कि 'हो सकती हैं'। 'साबित किया जा सकता है' और "साबित अवश्य होना चाहिए या होना चाहिए" के मध्य न केवल व्याकरणिक बल्कि विधिक अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने *शिवाजी साहबराव बोबडे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य* [3]में अभिनिर्धारित किया था, जहाँ निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई थीं:
>
> निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को दोषी होना ही चाहिए न कि केवल दोषी हो सकता है, तभी न्यायालय दोषसिद्ध कर सकता है और 'हो सकता है' और ' अवश्य होना चाहिए' के मध्य मानसिक दूरी बहुत लंबी है और अस्पष्ट परिकल्पनाओं को निश्चित निष्कर्षों से पृथक करती है।
>
> (2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना के आधार पर समझाया नहीं जा सकता, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,
>
> (3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,
>
> (4) साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना बाहर होनी चाहिए, और
>
> (5) साक्ष्यों की एक शृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छूटे और यह दर्शाया जाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2 (1984) 4 SCC 116
3 (1973) 2 SCC 793

12. वर्तमान प्रकरण में, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध निम्नलिखित तीन अभियोगात्मक परिस्थितियों का संदर्भ दिया है आक्षेपित निर्णय के पैरा 9 में, जो निम्नानुसार हैं:–

> **"प्रथम–** यह है कि मृतिका एवं अभियुक्त पति पत्नि है, जो दिनांक 24.06.2043 को मृतिका के भाई पोको पहाड़ी कोरवा के घर आये थे, जहां से दोनों एक साथ अपने घर ग्राम बाड़ी चलगली जाने के लिए निकले थे, उसी समय अभियुक्त ने मृतिका से झगड़ा कर टांगी के बेंठ से दो बार मारा था,
>
> **द्वितीय–** मृतिका को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था ।
>
> **तृतीय–** अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया और उसके बरामदगी ज्ञापन के आधार पर घटना में प्रयुक्त टांगी जप्त किया गया था।"

13. हम उपरोक्त अभियोगात्मक परिस्थितियों पर विचार करेंगे जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा एक–एक करके साबित पाया गया है ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 201 के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष करना उचित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>अभियोगात्मक परिस्थितियाँ क्रमांक 1 व 2</u>

14. इन परिस्थितियों के संबंध में, दिनांक 21.6.2013 को, अपीलार्थी और उसकी पत्नी जलाही बाई, दोनों मृतका के भाई पोको पहाड़ी कोरवा के घर गए। तत्पश्चात, पति–पत्नी दोनों एक साथ घर से चले गए और अंततः, मृतका–पत्नी का शव दिनांक 23.6.2013 को मिला। फलस्वरूप, पोको पहाड़ी कोरवा की निशानदेही पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी./3) दर्ज की गई। यद्यपि, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि पोको पहाड़ी कोरवा, जो अपीलार्थी और मृतका को अंतिम बार एक साथ देखे जाने का साक्षी था, अभियोजन साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से पूर्व ही स्वर्ग सिधार चुका था, अतः वह अभियोजन साक्षी के रूप में स्वयं की परीक्षण हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। अंततः, विचारण न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.–3) को ही सारभूत साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि दूसरा साक्षी बुलचू पहाड़ी (अ.सा.–3) एक अनुश्रुत साक्षी था, जिसे घटना के विषय में पोको पहाड़ी कोरवा (जिसकी विचारण के दौरान मृत्यु हो गई) ने बताया था।

15. अब, प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी./3) को सारभूत साक्ष्य के रूप में आधार बनाना उचित था, क्योंकि इसके निर्माता – पोको पहाड़ी कोरवा, की विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण उससे परीक्षण नहीं कराया जा सकता था?

16. यह सुस्थापित है कि यदि सूचनाकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट को एक सारभूत साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है, किंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट को एक सारभूत साक्ष्य के रूप में लेने से पूर्व, सूचनाकर्ता की मृत्यु का दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंध होना चाहिए या किसी प्रकार से प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित किसी भी साक्ष्य से उसका कोई संबंध होना चाहिए (देखें **दामोदर प्रसाद विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य**[4])।

17. यह भी सुस्थापित है कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद सूचनाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट को मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है। (देखें: **मुन्ना राजा विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य**)[5] .

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. **ललिता (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने इस विवाद्यक पर विचार किया है कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट को एक सारभूत साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है, विशेषतः तब जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले/सूचनाकर्ता की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार पैरा–34 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> **34.** एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि किसी मृत व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को सारभूत माना जाने के लिए, उसकी विषय–वस्तु को साबित किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में उसकी कोई भी उपयोगिता होने के लिए उसकी संपुष्टि और साबित होना आवश्यक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का उपयोग बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 154(3) के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाने के लिए किया जा सकता है। यदि सूचनाकर्ता की मृत्यु का दर्ज की गई शिकायत से कोई संबंध नहीं है, अर्थात उसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई है और वह किसी प्रकरण से संबंधित चोटों के कारण नहीं मरा है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय–वस्तु साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी। ऐसी परिस्थितियों में, विषय–वस्तु को अन्वेषक द्वारा साबित नहीं किया जा सकता। अन्वेषक को, अपने कथन के दौरान, प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय–वस्तु को साक्ष्य में प्रस्तुत करने की

4 (1975) 3 SCC 851
5 (1976) 3 SCC 104

स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। ताकि उन्हें साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य बनाया जा सके। विधि में केवल यही ग्राह्य है कि अन्वेषक अपने कथन में, प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रथम सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर और अपने हस्ताक्षर की पहचान कर सकता है और वह किसी विशेष पुलिस थाने पर किसी विशेष तिथि को उसके द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य के बारे में कथन दे सकता है।

19. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, **ललिता (पूर्वोक्त)** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में, यह स्पष्ट है कि पोको पहाड़ी कोरवा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाला था, जिसे अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत का साक्षी बताया गया था, यद्यपि, विचारण के दौरान, उसकी परीक्षण से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई और इसलिए अभियोजन साक्षी के रूप में उसकी परीक्षण नहीं ली जा सकी। इस प्रकार, उपरोक्त अभियोजन साक्षी की मृत्यु का दर्ज शिकायत से कोई संबंध नहीं है क्योंकि उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई और अभियोजन का यह प्रकरण नहीं है कि उसे संबंधित अपराध में चोटें आईं। अतः हमारे विचार से, प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी./3) इसके निर्माता – पोको पहाड़ी कोरवा की परीक्षण के अभाव में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है, और अंतिम बार एक साथ देखे जाने के सिद्धांत को साबित करने के लिए कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। इसलिए, अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया है कि अपीलार्थी और मृतका को घटना से पूर्व अंतिम बार साथ देखा गया था और इस प्रकार, अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत स्थापित नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>हथियार की बरामदगी (तृतीय परिस्थिति)</u>

20. यद्यपि अपीलार्थी की निशानदेही पर अपराध का हथियार जब्त कर लिया गया है। फिर भी, हथियार की बरामदगी से स्वतः ही यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त, अभियोजन पर सारभूत वस्तुओं की खोज और अपराध में उनके उपयोग के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का दायित्व है। (देखें: **मुस्तकीम उर्फ़ सिराजुदीन विरुद्ध राजस्थान राज्य**[6])। इसके अतिरिक्त, अपराध के हथियार की न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण भी नहीं की गई थी और इस प्रकार, तृतीय परिस्थिति भी स्थापित नहीं हुई है। अतः अपीलार्थी संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्ति का पात्र है।

21. उपरोक्त विमर्श के दृष्टिगत, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 201 के अधीन अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को अपास्त किया जाता है और उसे उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है। उसे अभ्यर्पण करने की आवश्यकता

6 (2011) 11 SCC 724)

नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जमानत बंधपत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क के प्रावधानों के अधीन 6 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेंगे।

22. इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि मूल अभिलेख सहित संबंधित विचारण न्यायालय को यथाशीघ्र प्रेषित की जाए।

सही/– **(संजय के. अग्रवाल)** न्यायाधीश	सही/– **(दीपक कुमार तिवारी)** न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**